अनुदान संख्या 72 – लोक सभा
GRANT No. 72–LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*33,00*	*90,00*	*34,67*	*–55,33*
पूरक	*Supplementary*	*57,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,70*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	181,05,00	244,00,00	197,52,26	–46,47,74
पूरक	Supplementary	62,95,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18,29,35

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(55.33 लाख रु.)* फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए *57.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 97 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत *विनियोग* का 61 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, the overall savings *(Rs.55.33 lakhs)* constituted 97 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.57.00 lakhs* obtained in February, 2004 and 61 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	*O.*	*33.00*	*86.30*	*34.67*	*–51.63*
पू.	*S.*	*57.00*			
पु.	*R.*	*–3.70*			

(I) *''संसद - लोक सभा - अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (प्रभारित)''* के अंतर्गत *33.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *57.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *90.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, जो तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. द्वारा प्रस्तुत हेलीकाप्टर प्रभारों से संबंधित बिलों का निपटान न किए जाने के कारण *55.33 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Parliament–Lok Sabha–Speaker and Deputy Speaker *(Charged*)"– the original *appropriation* of *Rs.33.00 lakhs* was augmented to *Rs.90.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.57.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.55.33 lakhs*–due to non–settlement of bills pertaining to Helicopter charges preferred by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4647.74 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 6295.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 74 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.4647.74 lakhs) constituted 74 percent of the supplementary grants of Rs.6295.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 19 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	18105.00			
पू.	S.	6295.00	22570.65	19752.26	–2818.39
पु.	R.	–1829.35			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) ''संसद - लोक सभा - सदस्य'' के अंतर्गत 11860.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 295.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12155.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 576.48 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) लोक सभा के जल्दी भंग होने, सदस्यों द्वारा रेल तथा हवाई यात्रा न किए जाने और चौदहवीं लोक सभा का गठन होने तक दिल्ली/नई दिल्ली में उनके निवास पर बिजली और पानी की यूनिटों के कोटे का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Parliament–Lok Sabha–Members"– the original provision of Rs.11860.30 lakhs was augmented to Rs.12155.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.295.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.576.48 lakhs (including supplementary grant) due to early dissolution of Lok Sabha, non–performing the rail and air journey by Members and non–utilisation of quota of electricity and water units at their residence in Delhi/New Delhi till the constitution of 14th Lok Sabha.

(III) ''संसद - लोक सभा सचिवालय - सचिवालय'' के अंतर्गत 6092.80 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12092.80 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो लोक सभा के भंग होने की वजह से माननीय उपाध्यक्ष, संसदीय समितियों के अध्यक्ष और उनके निजी स्टाफ के पद समाप्त होने और साथ ही संबंधित अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपस्करों की आपूर्ति न होने, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशा की अपेक्षा संबंधित अभिकरणों को गृह मंत्रालय द्वारा कम अदायगी किए जाने के कारण 4074.23 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under "Parliament–Lok Sabha Secretariat–Secretariat" – the original provision of Rs.6092.80 lakhs was augmented to Rs. 12092.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4074.23 lakhs–due to cessation of office by Hon'ble Dy. Speaker, Chairman of Parliamentary Committees and their personal staff owing to dissolution of Lok Sabha and also on account of non–supplying of security equipments by the concerned agencies resulting in less payment made by Ministry of Home Affairs to the concerned agencies than anticipated.